# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर

## पीठासीन अधिकारी प्रियंका कड़ेला आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 32/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

**उनवान**

1. मुक्ति पत्नि सुरेश जाति मीना निवासी टोड़ा तहसील बामनवास

–प्रार्थीगण

**बनाम**

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास
2. गुलबाई पत्नि मीठालाल मीना निवासी टोड़ा तहसील बामनवास

–अप्रार्थी

वकील प्रार्थीया– श्री लक्ष्मीकांत शर्मा
वकील अप्रार्थी नम्बर 02 – श्री विजय सिंह गुर्जर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

## निर्णय

दिनांक :- 3-11-2025

**प्रार्थीगण** की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.12 है0 स्थित ग्राम टोड़ा तहसील बामनवास में स्थित है। जिसके प्रार्थीया खातेदार काश्तगार है अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध वास्ता नहीं हैं उपरोक्त आराजी को प्रार्थीगण ही वहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। एवं लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। प्रार्थीया की मेड़ को पड़ौसी खातेदार आये दिन ध्वस्त कर प्रार्थीया की भूमि को अपनी भूमि में दबाने की नियत रखते है। जसके चलते प्रार्थीया को अपनी भूमि की डोल मेड़ के संबंध में पड़ौसी खातेदारान से आये दिन विवाद का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करा चुके है। फिर भी पड़ौसी खातेदारान आये दिन विवाद करते रहते है। जिससे प्रार्थीया को आये दिन मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तथा झगड़े की सम्भावना बनी रहती है। आये दिन पड़ौसी खातेदारान से होने वाले विवादों को दृष्ट्रिगत रखते हुये प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने चाहते है। जिससे प्रार्थीया I को अपनी भूमि में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना [illegible] पड़े। इस संबंध में प्रार्थीगण ने दिनांक 28.04.2025 को तहसीलदार बामनवास से [illegible] कार्यवाही हेतु निवेदन किया लेकिन उन्होंने श्रीमानजी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र [illegible] उचित आदेश लाने [illegible] इसलिये प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 128 राज0 भू0 अधि0 के तहत पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थी लेण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास को आदेश दिया जावे कि वह टीम गठित कर आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:20:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

41 है0, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.12 है0 स्थित ग्राम टोड़ा तहसील बामनवास को आदेशित कर पत्थरगढ़ी करवायी जावें।

प्रार्थीया की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीया की और से अपने वाद पत्र के समर्थन में खाते की नकल जमाबंदी नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार बामनवास की और से दिनांक 11.06.2024 को कराये गये सीमाज्ञान की फर्द मौका रिपोर्ट वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर करने पर इस न्यायालय की और से दिनांक 08.05.2025 को तहसीलदार बामनवास को लिखा जाकर वाद पत्र के संबंध में अपना पक्ष जबाब प्रस्तुत करने हेतु लिखे जाने पर तहसीलदार बामनवास की और से दिनांक 27.05.2025 को वाद पत्र के संबंध में अपना जबाब पेश किया है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम टोड़ा तहसील बामनवास की आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.12 है0 मुक्ति पत्नि सुरेश जाति मीना निवासी टोड़ा के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के उक्त खातेदारी भूमि पर मुक्ति पत्नि सुरेश का कब्जा काश्त है आराजी खसरा नम्बर 107, 108 के पड़ौसी खातेदारान से डोल मेड़ पर विवाद है ऐसी स्थिति में पड़ोसी खातेदार को पक्षकार बनाया जाना उचित होगा। उक्त खातेदारी भूमि का दिनांक 11.06.2024 को सीमाज्ञान कराया जा चुका है। तहसीलदार बामनवास के पत्र कमांक/भू0अभि0/2025/1649 दिनांक 27.05.2025 द्वारा तहसीलदार बामनवास का जबाब प्राप्त होने पर पड़ौसी खातेदार गुलबाई पत्नि मीठालाल जाति मीना निवासी टोड़ा तहसील बामनवास द्वारा दिनांक 28.05.2025 को जरिये अधिवक्ता श्री विजयसिंह गुर्जर एडवोकेट के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश करने पर पड़ौसी खातेदार गुलबाई पत्नि मीठालाल जाति मीना निवासी टोड़ा को सुना गया। तथा दिनांक 03.11.2025 को वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी नम्बर 2 की सहमति पर प्रार्थना पत्र धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का अन्तिम निस्तारण करते हुये अप्रार्थी नम्बर 2 का प्रार्थना पत्र धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार करते हुये वकील उभयपक्ष की सहमति के अनुसार दोनों पक्षकारों (प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 2) की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करवाये जाने की सहमति देने पर वकील प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम टोड़ा पटवार मण्डल टोड़ा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र जाहिरा तहसील बामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा [illegible] रकबा 0.[illegible] खसरा नम्बर 108 रकबा 0.12 स्थित भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। [illegible] किया [illegible] खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस [illegible] उभयपक्ष की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थीया पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:20:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

## // आदेश //

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम टोड़ा पटवार मण्डल टोड़ा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र जाहिरा तहसील बामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा 107 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.12 स्थित ग्राम टोड़ा तहसील बामनवास भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक जाहिरा को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीया की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0 निरीक्षक जाहिरा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर प्रार्थीया व अप्रार्थी नम्बर 02 की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बामनवास को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 3-11-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(प्रियंका कडेला)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास(सवाई माधोपुर)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:20:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner